न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 31/11

1. दीनदयाल दत्तक पुत्र केवलराम–मृतक वादी
1/1 वंदना शर्मा विधवा दीनदयाल
1/2 जया शर्मा पुत्री स्व0 दीनदयाल नाबालिग जरिये संरक्षक
1/3 पूजा शर्मा पुत्री स्व0 दीनदयाल नाबालिग जरिये संरक्षक
2. शिवचरन पुत्र टीकम – मृतक वादी
2/1 मु. रामदेई विधवा शिवचरन
2/2 हरीओमप्रकाश पुत्र स्व0 शिवचरन – मृतक
2/2/1 रामदुलारी पत्नि स्व0 हरीओमप्रकाश
2/2/2 धनश्याम पुत्रान स्व0 हरीओमप्रकाश
2/2/3 श्रीकृष्ण पुत्रान स्व0 हरीओमप्रकाश
2/2/4 कृष्णा पुत्री स्व0 हरीओमप्रकाश
2/2/5 नीता पुत्री स्व0 हरीओमप्रकाश
2/3 चन्द्रशेखर पुत्र स्व0 शिवचरन
2/4 दुर्गाप्रसाद पुत्र स्व0 शिवचरन
2/5 सियाराम पुत्र स्व0 शिवचरन
2/6 लक्ष्मी पुत्री स्व0 शिवचरन
2/7 विघादेवी पुत्री स्व0 शिवचरन
2/8 मायादेवी पुत्री स्व0 शिवचरन
2/9 मंजूदेवी पुत्री स्व0 शिवचरन

जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम ब्रहम्वाद नयावास, तहसील बयाना, जिला भरतपुर

वादीगण–विधिक प्रतिनिधिगण
मृतक वादी

बनाम

1. भीमो पुत्र मूसरिया, जाति गुर्जर, निवासी ब्रहम्वाद तहसील बयाना
2. भोलानाथ पुत्र सुगनचंद ब्राहम्ण झारैडा रोड हिण्डौनसिटी– मृतक

मूल प्रतिवादीगण

2/1 मायादेवी विधवा स्व0 भोलानाथ
2/2 देवेन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 भोलानाथ
2/3 लकी शर्मा पत्नि योगेन्द्र शर्मा
निवासी– पंडित चौक पैरेडाइज रामदुलारी कॉलेज के पास झारैडा रोड गांधी स्कूल के पीछे हिण्डौन सिटी, हिण्डौन, जिला करौली
2/4 नूतन शर्मा पत्नि राजेन्द्र शर्मा ब्राहम्ण
निवासी– 555, गली नं.3 देवीनगर गुर्जर बडी सोडाला, जयपुर
पुत्रीयां स्व0 भोलानाथ ब्राहम्ण, झारैडा रोड हिण्डौन

3. सुरेशचन्द पुत्र सुगनचंद ब्राहम्ण, निवासी गोलपाडा तहसील व जिला मथुरा (उ0प्र0)
4. मनोज कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद ब्राहम्ण निवासी ब्रहम्वाद
5. विनोद कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद ब्राहम्ण निवासी ब्रहम्वाद
6. मदनलाल पुत्र द्वारका प्रसाद ब्राहम्ण निवासी ब्रहम्वाद
7. चंद्रप्रकाश दत्तक पुत्र गुलकंदी ब्राहम्ण निवासी नयावास ब्रहम्वाद तहसील बयाना

शोभनार्थ प्रतिवादीगण

वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

5/8/…
उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

निर्णय दिनांकः- 05/8/25

उपस्थिति- श्री महेन्द्रभूषण शर्मा एड0 वादीगण
श्री हेमराज रूपा एड0 प्रतिवादी संख्या 01
श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड0 प्रतिवादी संख्या 3

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 22 रकबा 0.44, 71 रकबा 0.34, 713 रकबा 0.01, 714 रकबा 0.59, कुल किता 4 रकबा 1.42 हैक्टेयर वाके ग्राम नयावास (ब्रहम्वाद) में स्थित है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। उक्त आराजी वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण को अपने पूर्वज श्री रघुनन्दन लाल जी से प्राप्त हुई थी, उक्त आराजी का नामान्तकरण रघुनन्दन जी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया था, वादीगण के पूर्वज रघुनन्दन लावल्द बिला औरत फौत हुये थे उनके जीवन काल में उनकी शादी ही नहीं हुई थी। इस कारण श्री रघुनन्दन जी की मृत्यु के बाद नामान्तकरण ग्राम पंचायत सिघांडा द्वारा मृतक के भाई के पुत्र वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया था तथा वादीगण के मध्य न्यायालय हाजा से विभाजन का वाद भी डिक्री किया था। जिसमें विवादित आराजी वादीगण के न्यारान्यूर हिस्से में आई थी और वादी संख्या 2 व शोभनार्थ प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा नहीं रहा था। विवादित आराजी खसरा नम्बरान ग्राम पंचायत सिंघाडा व ब्रहम्वाद में स्थित थी इस कारण विवादित आराजीयात के दो नामान्तकरण खोले गये थे ग्राम पंचायत सिंघाडा द्वारा खोले गये नामान्तरकण 1458 है, पुराने खसरा नम्बर 265 व 299 थे जिसके न ये नम्बर 71 व 22 है ग्राम पंचायत ब्रहम्वाद द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 541 है जो पुराना खसरा नम्बर 408 है तथा नये नम्बरान 713 व 714 है उक्त नामान्तकरण के समय वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 के मध्य दिनांक 08.02.80 को एक इकरारनामा लिखा गया था जिसमें ग्राम सिंघाडा व ब्रहम्वाद वाली आराजीयात वादीगण के हिस्से में आई थी व बयाना स्थित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 2 भोलानाथ के हिस्से में आई थी जिस प्रतिवादीगण संख्या 2 व उसकी मां के भी हस्ताक्षर हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने नामान्तकरण संख्या 1458 व 541 की बाबत दीगर लोगों के वहकावे में आकर अपीलें पेश की थी जो न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार तहसीलदार बयाना को जांच कर दाखिल खारिज दर्ज व तस्दीक करने के आदेश कर दिये गये, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ने न्यायालय हाजा के आदेश की श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील की थी जो स्वीकार कर ली गई थी। उक्त निर्णय के विरूद्व वादीगण द्वारा रेवेन्यू बोर्ड ऑफ राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानियां पेशी की थी। माननीय रेवेन्यू बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा वादीगण की निगरानियां स्वीकार की गई और श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय निरस्त कर दिये गये तथा तहसीलदार बयाना को पुनः जांच कर नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक करने को पत्रावलियां रिमाण्ड कर दी गई उक्त निर्णय के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 2 ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाऐ पेश जो खारिज कर दी गई। इस प्रकार अन्तिम फैसला वादीगण के पक्ष में रहा था। प्रतिवादी असल संख्या 2 भोलानाथ ने उक्त आराजीयात का नामान्तकरण वादीगण व शोभनार्थ की जानकारी में लाये बिना अपने नाम दर्ज व तस्दीक करा लिया जबकि प्रतिवादीगण संख्या 2 भोलानाथ का विवादित आराजीयात में कोई अधिकार नहीं है और ना कभी था, दिनांक 27.01.2011 को प्रतिवादीगण संख्या 2 भोलानाथ ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विवादित आराजी का एक फिक्सीशियस विक्रय पत्र सब रजिस्टार बयाना के यहां तस्दीक कराई जबकि भोलाराम को उक्त आराजी का विक्रय पत्र कराने का कोई अधिकार नहीं था भोलाराम का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है उक्त आराजीयात पर वादीगण तीस वर्षो से कब्जा बदस्तूर आज तक चला आ रहा है तथा वादीगण ही विवादित आराजी का लगान अदा करते चले आ रहे है। आराजी खसरा नम्बर 713 रकबा 0.01 हैक्ट. में वादी संख्या 3 ने अपने आराजी की सिंचाई हेतु बोरिंग करा रखी है

05/8/25
उप खण्ड अधि...
बयाना (भरतपुर)

जिसका विद्युत बिल भी वादी संख्या 3 लगातार आज तक करीब 30–35 वर्षों से अदा करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 भोलानाथ का विवादित आराजी से कभी कोई सरोकार नहीं रहा है और न कभी कब्जा काश्त ही रहा है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 चालाक किस्म का व्यक्ति है उसने वादीगण से आरजीयात को छीनने की नीयत से उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करा दिया है। इस कारण उक्त विक्रय पत्र तारीखी 27.01.2011 को हम वादीगण के मुकाबले नल एंड वोइड है तथा बेअसर हैं उक्त विक्रय पत्र से प्रतिवादीगण संख्या 1 को विवादित आराजीयात में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। दिनांक 13.02.2011 को प्रतिवादीगण असल संख्या 1 ने वादीगण को यह धमकी दी है विवादित आराजीयात का विक्रय पत्र मैंने प्रतिवादी संख्या 2 से करा लिया है अब मै उक्त आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज व तस्दीक कराऊंगा तथा आराजीयात पर कब्जा करूंगा तथा तुम्हें आराजीयात से वेदखल कर दूंगा, तुम्हें आराजीयात में काश्त नहीं करने दूंगा। प्रतिवादीगण की उपरोक्त धमकी से वादीगण को सख्त हकतलफी है अगर प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी में कामयाव हो गये तो वादीगण बरबाद हो जावेंगे वे अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम रह जावेंगे प्रतिवादी संख्या 1 लठ्ठ वाला आदमी वाला व्यक्ति है। व लठ्ठ के बल पर वादीगण को आराजीयात से बेदखल कर सकता है। आराजीयात में बुवी हुई फसल को नष्ट व बरवाद कर सकता है। अन्त में वादीगण शोभनार्थ प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है उक्त नम्बरान की बाबत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया या विक्रय पत्र तारीखी 27.01.2011 नल एंड बोइड एवं शून्य है तथा वादीगण के अधिकारों के मुकाबले बेअसर है, घोषित फरमाये जाने एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बरान 22 रकवा 0.44, 71 रकवा 0.34, 713 रकवा 0.01, 714 रकवा 0.59, कुल किता 4 रकवा 1.42 हैक्टेयर वाके ग्राम नयावास (ब्रहम्वाद) में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करें। विक्रय पत्र तारीखी 27.01.2011 के आधार पर अपने नाम नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक न करावे तथा वादीगण को आराजीयात से बेदखल न करें तथा आराजीयात में खडी हुई फसल को नष्ट व बरवाद नहीं करें, निवेदन किया।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने दिनांक 09.04.2012 को जबाव दावा पेश कर वाद पत्र की मद संख्या 01 को अस्वीकार कर अंकित किया कि उक्त वर्णित आराजीयात से वादीगण का किसी प्रकार का कोई सरोकार व वास्ता नहीं है और ना ही वादीगण उक्त आराजीयात के कभी खातेदार काश्तकार रहे है मौके पर वादीगण पर वादीगण ने उक्त आराजीयात को कभी भी आज तक जोता बोया नहीं है। वादीगण कभी भी मृतक रघुनन्दन के वारिसान व कायम मुकामान नहीं रहे और न किसी कानूनी अदालत द्वारा वादीगण को मृतक रघुनन्दन का वारिस व कायम मुकामान माना गया है। जिला जज द्वारा भी वादीगण को मृतक रघुनन्दन का वारिस व कायम मुकामान नहीं माना गया। बल्कि जिला जज द्वारा मृतक रघुनन्दन का वारिस व कायम मुकामान भोलानाथ प्रतिवादी संख्या 2 को माना गया है और प्रतिवादी नम्बर 2 भोलानाथ ही मृतक रघुनन्दन की खातेदारी आराजी का खातेदार काश्तकार माना गया है। उक्त वर्णित आराजी का प्रतिवादी संख्या 2 भोलानाथ ही खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी रहा है, तथा प्रतिवादी नम्बर 2 भोलानाथ का ही अपनी खातेदारी की आराजी को रहन वय व मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जबाव दावा में वाद पत्र की मद संख्या 2 को भी अस्वीकार किया गया। विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी नम्बर 2 भोलानाथ को मृतक रघुनन्दन का वारिस मानते हुये राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज करते हुये आराजी मुतनाजा का प्रतिवादी नम्बर 2 भोलानाथ को विधिवत कानूनी तरीके से खातेदार दर्ज किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 2 भोलानाथ ने अपनी घरेलू इच्छाओं की पूर्ति के लिये विवादित आराजीयात को दिनांक 27.01.2011 को दो अलग–अलग बयनामों के जरिये प्रतिवादी नम्बर 1 भीमो को विधिवत राशि प्राप्त कर विक्रय कर मौके पर प्रतिवादी नम्बर 1 भीमो को कब्जा दिया है। खरीद के दिन से ही प्रतिवादी नम्बर 1 भीमो का आराजी

उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर) राज

मुतनाजा भीमो बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा चला आ रहा है। अब उक्त आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 भीमो का कब्जा काश्त है प्रतिवादी नम्बर 2 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 के हक में दोनों बयनामें विधिवत तहरीर तकमील कराकर उपपंजीयक बयाना के समक्ष पेश कर तस्दीक कराये है। मौके पर प्रतिवादी नम्बर 1 भीमो ही जोत बो रहा है। जबाव दावे में मद नम्बर 2ए गलत है अस्वीकार किया गया। वादीगण ने जिस प्रकार से कथन लिखे है वह सर्वथा बनावटी है वादीगण प्रतिवादी नम्बर 2 के मध्य किसी प्रकार का कोई भी तथाकथित इकरारनामा तारीखी 08.02.1980 नहीं लिखा गया और न ही उस पर कोई हस्ताक्षर किये गये, यदि ऐसा कथित इकरारनामा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो वह सर्वथा झूठा, बनावटी व फर्जी है और ऐसे किसी फर्जी, बनावटी व गैर कानूनी कथित इकरारनामा से वादीगण का यह कथन भी बनावटी हैं कि इस कथित इकरारनामा पर प्रतिवादी नम्बर 2 के साथ–साथ उसके मां के हस्ताक्षर हों। यहॉ पर यह कहना भी सुसंगत होगा कि जब कथित इकरारनामा लिखा ही नहीं गया तो प्रतिवादी व उसकी मां के हस्ताक्षर होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यहॉ पर यह कहना भी सुसंगत है कि भोलानाथ पुत्र सुगनचन्द जाति ब्राहम्ण प्रतिवादी नम्बर 2 व द्वारिकाप्रसाद पुत्र टीकमचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी उषा मन्दिर बयाना ने मुकदमा मुतफर्रिक दीवानी संख्या 38/18 उनवानी भोलानाथ बनाम हरखासोआम न्यायालय जिला न्यायाधीश भरतपुर ने हरखासोआम के विरूद्व मृतक रघुनन्दन के सम्पत्ति बाबत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कार्यवाही की थी जिसमें सम्बन्धित सभी पक्षकारों को सुना गया था और सुनने के पश्चात जिला न्यायाधीश भरतपुर महोदय द्वारा दिनांक 11.09.1981 के निर्णय से मृतक रघुनन्दन का भोलानाथ पुत्र सुगनचन्द जाति ब्राहम्ण अप्रार्थी संख्या 2 कें हक में रघुनन्दन द्वारा छोडी गई सम्पत्ति का उत्तराधिकारी मानकर उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया था जिसकी कोई भी अपील, निगरानी वादीगण के पूर्वजों ने नहीं की, इस प्रकार दिनांक 11.09.1981 का निर्णय अन्तिम निर्णय है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी है। इससे भी स्पष्ट होता है कि मृतक रघुनन्दन का एक मात्र कानूनी वारिस भोलानाथ अप्रार्थी नम्बर 2 है और वादीगण व अन्य नहीं, वादीगण ने वादी नम्बर 2 महेशचन्द पुत्र द्वारिकाप्रसाद को डिलीट करके न्यायालय हाजा को गुमराह करने के उद्देश्य से सही तथ्यों को छिपाने का असफल प्रयास किया है। जबाव दावे में वादपत्र की मद संख्या 2बी गलत व अस्वीकार कर अंकित किया है कि वादीगण द्वारा लिखे गये तथ्य बेबुनियाद है माननीय राजस्व अपीली न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के विरूद्व जो निगरानी वादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा को पुनः जॉच हेतु पत्रावली तहसीलदार बयाना को भेज दी गई। इस निर्णय के विरूद्व प्रतिवादी संख्या 2 ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में रिट याचिकाऐं पेश की थी जो अमद हाजिरी व अदम पैरवी में निरस्त हो गई थी जिसके बारे में प्रतिवादी संख्या 2 ने पुनः नम्बर पर लेने हेतु कार्यवाही कर दी हैं जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा विपक्षीगण वादीगण को नोटिस भी जारी कर दिये गये है इस प्रकार राजस्व मण्डल अजमेर के विरूद्व कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में आज भी विचाराधीन है। वादपत्र की मद संख्या 3 को अस्वीकार कर अंकित किया है कि वादी नम्बर 2 शिवचरन (मृतक) व उसके वारिसान वादीगण नम्बर 2/1 लगायत 2/9 का विवादित आराजी में कभी कोई बोरिंग नहीं था और ना इस समय ही लगा हुआ है यदि विवादित आराजी में वादी नम्बरी 2 व उसके वारिसान वादीगण नम्बर 2/1 लगायत 2/9 का द्वारा किसी प्रकार बिजली विभाग से बोरिंग लगाये जाने का बिजली कनैक्शन लिया हुआ है तो फर्जी व गलत तरीके से प्रतिवादी नम्बर 2 की अदम जानकारी में लिया होगा जो गलत है व प्रतिवादी नम्बर 2 की आराजी से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं रखता है। वादपत्र की मद संख्या 4 को अस्वीकार कर अंकित किया विवादित आराजी पर भोलानाथ प्रतिवादी नम्बर 2 का कब्जा काश्त रहा है विक्रय कर देने के दिन से प्रतिवादी संख्या 1 भीमो का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण किसी भी कानून के अन्तर्गत बयनामों को निरस्त कराने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 5 को अस्वीकार कर अंकित किया है कि विवादित आराजीयात

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

पर वादीगण का जरा कोई कब्जा काश्त ही नहीं है। तो हम प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 द्वारा वादीगण को धमकी दिये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण को दिनांक 13.02.2011 को या अन्य कभी भी आज तक किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई है। बयनामों के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा विवादित आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम कराने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वाद पत्र की मद संख्या 6 को अस्वीकार किया है और अंकित किया है कि वादीगण का विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त ही नहीं है तो उनके बरवाद होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है बल्कि इस दावे व प्रार्थना पत्र की आड़ में वादीगण के मुकाबले प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा विक्रय की गई आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 को काफी नुकसान पहुँचेगा व बरवाद होने के पूरे चान्सेस है। जब वादीगण खातेदारी ही नहीं है तो प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं हो सकते है। वाद पत्र की अन्य मदों को भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा अस्वीकार किया गया, एवं उजरात मजीद में अंकित किया है कि वादीगण ने जानबूझकर वादपत्र की मद नम्बर 7 को डिलीट कर दिया है जबकि उक्त मद में संशोधन या डिलीट की वादीगण ने न्यायालय हाजा से कोई आज्ञा नहीं ली थी। इसलिये वादीगण का दावा खारिज योग्य है। आराजी खसरा नम्बरान 22 रकवा 0.44, 71 रकवा 0.34, 713 रकवा 0.01, 714 रकवा 0.59, कुल किता 4 रकवा 1.42 हैक्टेयर वाके ग्राम नयावास (ब्रहम्वाद) तहसील बयाना का प्रतिवादी संख्या 2 भोलानाथ मृतक रघुनन्दन का कानूनी वारिस होने के नाते खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी था जिसने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खातेदारी होने की वजह से अपनी घरेलू इच्छाओं की पूर्ति के लिये दिनांक 27.01.2011 को प्रतिवादी नम्बर 1 भीमो के हक में दो अलग–अलग बयनामो के आधार पर विवादित आराजी को विक्रय कर बयनामों को उपपंजीयक बयाना के समक्ष पेश कर तस्दीक कराकर मौके पर प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित आराजी पर कब्जा करा दिया। खरीद के दिन से ही प्रतिवादी संख्या 1 आरजी मुतनाजा का खातेदार काश्तकार आज तक बदस्तूर चला आ रहा है और काश्त कर रहा है। विवादित आराजी ये वादीगण का किसी प्रकार का कोई सरोकार व वास्ता नहीं है और न कभी कोई कब्जा काश्त ही रहा है और न इस समय ही है। वादीगण ने विवादित आराजी को मौके पर कभी जोता–बोया नहीं है। मृतक रघुनन्दन के वादीगण कभी वारिस ही नहीं रहे है इसलिये किसी प्रकार की खातेदारी के अधिकार भी वादीगण को प्राप्त नहीं हुये है बल्कि मृतक रघुनन्दन का कानूनी उत्तराधिकार प्रतिवादी नम्बर 2 भोलानाथ है और उक्त आराजीयात की खातेदारी का इन्द्राज भी प्रतिवादी नम्बर 2 के नाम ही दर्ज हुआ है। प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 के हक में दो अलग–अलग बयनामें दिनांक 27.01.2011 को विवादित आराजीयात के कराये गये है और इन दोनों बयनामों के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 1 को मौके पर कब्जा प्राप्त हुआ है वादीगण के दोनो बयनामों को एक ही दावे में निरस्त काराने की कार्यवाही की गई है जो कानूनन गलत है। दोनों बयनामों को निरस्त कराने के लिए दो अलग–अलग दावे करने चाहिये थे इसलिये वाद खारिज योग्य है। बयनामें निरस्त कराये जाने के लिये वादीगण को दीवानी न्यायालय में अपने दावे पेश करने चाहिए थे। न्यायालय हाजा को बयनामें निरस्त करने के कानूनी अधिकार नहीं है। दावा व दर0 की आड़ में प्रतिवादी नम्बर 1 से उसकी खरीद की गई आराजी को जबरन छिनना चाहते है व बेदखल कर कब्जा नाजायज करना चाहते है। किसी भी न्यायालय से किसी प्रकार की कोई रिलीफ उक्त आराजी को प्राप्त करने की नहीं मिली तो वह झूठा दावा व दर0 बिना किसी आधार के पेश कर दिये है। वादीगणों ने केवल यह दावा हम प्रतिवादीगण को नाजायज परेशान करने व हमारी खातेदारी की आराजी को हड़पने की गरज से प्रस्तुत किया है। जिला जजों से मृतक रघुनन्दन का उत्तराधिकार प्रतिवादी नम्बर 2 भोलानाथ को माना गया है। वादीगण को नहीं माना गया है। प्रतिवादी नम्बर 2 भोलानाथ को वारिस व कायम मुकामान माने जाने की सूरत में ही खातेदारी का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसलिये मृतक रघुनन्दन की आराजी की खातेदारी का इन्द्राज प्रतिवादी नम्बर 2 भोलानाथ के नाम दर्ज व तस्दीक हुआ है। वादीगण प्रतिवादी नम्बर 2 के मध्य किसी प्रकार का कोई भी तथाकथित इकरारनामा तारीखी 08.02.1980 नहीं लिखा गया

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

और न ही उस पर कोई हस्ताक्षर किये गये, यदि ऐसा कथित इकरारनामा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो वह सर्वथा झूठा, बनावटी व फर्जी है और ऐसे किसी फर्जी, बनावटी व गैर कानूनी कथित इकरारनामा से वादीगण को कोई हक विरासत या हकूक खातेदारी विवादित आराजीयात में या अन्य किसी सम्पत्ति में प्राप्त नहीं होते है और ना ही कथित इकरारनामा पर प्रतिवादी नम्बर 2 के साथ–साथ उसके मां के भी हस्ताक्षर है। भोलानाथ पुत्र सुगनचन्द जाति ब्राहम्ण प्रतिवादी नम्बर 2 व द्वारिकाप्रसाद पुत्र टीकमचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी उषा मन्दिर बयाना ने मुकदमा मुतफर्रिक दीवानी संख्या 38/81 उनवानी भोलानाथ बनाम हरखासोआम न्यायालय जिला न्यायाधीश भरतपुर ने हरखासोआम के विरूद्व मृतक रघुनन्दन के सम्पत्ति बाबत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कार्यवाही की थी जिसमें सम्बन्धित सभी पक्षकारों को सुना गया था और सुनने के पश्चात जिला न्यायाधीश भरतपुर महोदय द्वारा दिनांक 11.09.1981 के निर्णय से मृतक रघुनन्दन का भोलानाथ पुत्र सुगनचन्द जाति ब्राहम्ण अप्रार्थी संख्या 2 के हक में रघुनन्दन द्वार छोडी गई सम्पत्ति का उत्तराधिकारी मानकर उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया था जिसकी कोई भी अपील, निगरानी वादीगण के पूर्वजों ने नहीं की, इस प्रकार दिनांक 11.09.1981 का निर्णय अन्तिम निर्णय है और सभी पक्षो पर बाध्यकारी है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि मृतक रघुनन्दन का एक मात्र कानूनी वारिस भोलानाथ अप्रार्थी नम्बर 2 है और वादीगण व अन्य नहीं, वादीगण ने वादी नम्बर 2 महेशचन्द पुत्र द्वारिकाप्रसाद को डिलीट करके न्यायालय हाजा को जानबूझकर गुमराह करने के उद्देश्य से सही तथ्यों को छिपाने का असफल प्रयास किया है जबकि जिला न्यायाधीश भरतपुर का निर्णय तारीखी 11.09.1981 के द्वारा रघुनन्दन द्वारा छोडी गई समस्त सम्पत्ति उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 2 है, दावा वादीगण मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 03 सुरेशचंद ने दिनांक 19.10.2020 को अपना जबाव दावा प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विवादित आराजी का ग्राम नयावास ब्रहम्वाद में स्थित होना स्वीकार है, उक्त आराजी का रघुनन्दनलाल की छोडी हुई होना स्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 01 की अन्य बातें अस्वीकार की गई। वाद पत्र की मद संख्या 1ए आंशिक स्वीकार की है। इस खण्ड में दाखिल खारिज का उल्लेख किया गया है। वह निरस्त किये जा चुके है। कोई इकरारनामा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य नहीं लिखा गया। वादपत्र की मद संख्या 1बी में यह स्वीकार किया है कि विवादित दाखिल खारिज निरस्त करते हुये तहसीलदार बयाना को पुनः जांच कर नामान्तकरण दर्ज व तस्दीक करने के आदेश पारित हुये है। वादीगण के पक्ष में कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है। रिमाण्ड के पश्चात वारिसान के दाखिल खारिज का अन्तिम निर्णय तहसीलदार बयाना को किया जाना है। वाद पत्र की मद संख्या 2 में यह स्वीकार किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने गोपनीय रूप से मुझ प्रतिवादी की जानकारी में लाये बिना नामान्तकरण अपने नाम दर्ज व तस्दीक करा लिया था। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 को न्यारान्यूर अपने नाम नामान्तकरण दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं था। नामान्तकरण रैवेन्यू बोर्ड अजमेर के निर्णय के विपरित था। रेवेन्यू बोर्ड से संभागीय आयुक्त का निर्णय अपास्त किया जा चुका है। इस खण्ड में यह तथ्य स्वीकार है कि प्रतिवादी संख्या 2 भोलानाथ विवादित आराजी को विक्रय करने एवं विक्रयपत्र तहरीर व रजिस्टर्ड कराने का अधिकार नहीं था। विक्रयपत्र प्रारम्भ से ही अवैध शून्य व निष्प्रभावी है। प्रतिवादी संख्या 2 का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादपत्र की मद संख्या 3 को आंशिक स्वीकार किया गया है। विवादित आराजी में वादी ने बोरिंग मुझ प्रतिवादी के फायदा के लिये लगाया गया था। वाद पत्र की मद संख्या 4 में यह स्वीकार किया है कि विवादित आराजी में भोलानाथ का कभी कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। न ही कब्जा काश्त रहा है। विक्रय पत्र तारीखी 27.01.2011 अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी होने से विक्रयपत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित आराजीयात में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादपत्र की मद संख्या 6 मुझ प्रतिवादी से सम्बन्धित नहीं है। फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 को अवैध शून्य निष्प्रभावी विक्रयपत्र के आधार पर कानूनन कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही

होते है। प्रार्थना कोर्ट के उपखण्ड अ में यह तो स्वीकार किया है कि विवादित खसरा नम्बरान की बाबत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में किया गया विक्रयपत्र तारीखी 27.01.2011 नल एण्ड वोइड एवं शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त विक्रयपत्र मुझ प्रतिवादी एवं रघुनन्दनलाल के अन्य कानूनी वारिसान की हक तक अवैध शून्य व निष्प्रभावी है। उपखण्ड ब में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। अपने विशेष विवरण में अंकित किया है कि विवादित आराजी रघुनन्दनलाल की छोडी हुई है रघुनन्दनलाल अविवाहित लाबल्द बिना सन्तान फौत हुआ था। महताबकौर मृतक रघुनन्दनलाल की सगी बहिन थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत मुझ प्रतिवादी की माता महताबकौर उर्फ लक्ष्मीदेवी मृतक की एक मात्र कानूनी वारिस थीं रघुनन्दनलाल की मृत्यु के बाद मुझ प्रतिवादी की माता महताबकौर उर्फ लक्ष्मीदेवी को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई थी। महताबकौर उफ लक्ष्मीदेवी का सजरा निम्न प्रकार है:–

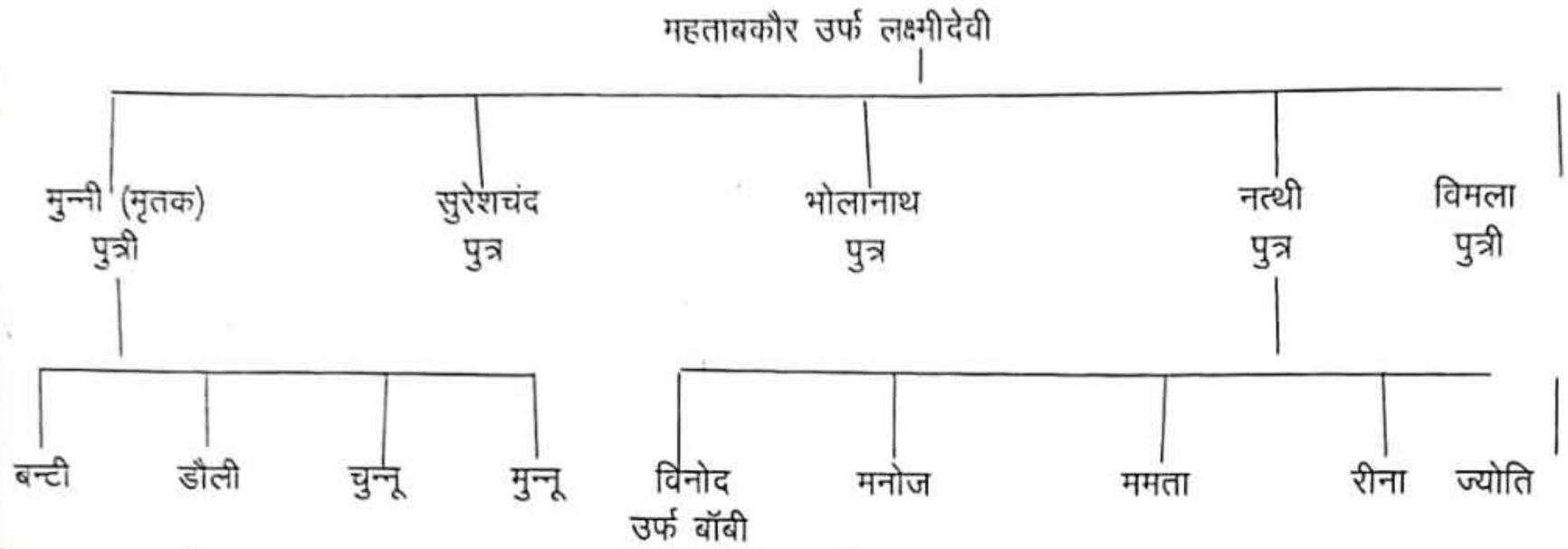

केवलराम बगै0 मृतक रघुनन्दनलाल के कुटुम्बी भाई बन्धु हैं रघुनन्दनलाल उसा मन्दिर बयाना में पुजारी थे। कस्बा बयाना में भी रघुनन्दनलाल की छोडी हुई खातेदारी की जमीन थी। केवलराम वगै0 ने रघुनन्दनलाल की छोडी हुई आराजी के बाबत दाखिल खारिज ग्राम पंचायत ब्रहम्वाद, ग्राम पंचायत सिंघाडा एवं तहसीलदार बयाना से मिलकर अपने दर्ज व तस्दीक करा लिया था। भोलानाथ ने महताबकौर माता के जीवनकाल में उक्त दाखिल खारिजों की अपील एसडीएम बयाना में प्रस्तुत की थी। न्यायालय हाजा उक्त तीनो अपीलें स्वीकार कर पत्रावलियां तहसीलदार बयाना को रघुनन्दनलाल के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः दाखिल खारिज खोलने के लिए रिमाण्ड की थी। भोलनाथ व केवल बगै0 ने उक्त तीनों अपीलों में न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्व अपीलें संभागीय आयुक्त के यहां प्रस्तुत की थी। दिनांक 06.07.1988 को संभागीय आयुक्त से भोलानाथ की अपील स्वीकार की गई थी। तथा केवल बगै0 की अपील खारिज की थी। जिनकी निगरानीयां वादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर प्रस्तुत की गई। जिनकी निगरानीयां वादीगण द्वारा बलराम बगै0 की निगरानींया स्वीकार की गई थी, और न्यायालय हाजा के निर्णय को बहाल किया गया था, तथा संभागीय आयुक्त का निर्णय दिनांक 06.07.1988 को अपास्त या खारिज किया गया था। संभागीय आयुक्त निर्णय तारीख 06.07.1988 को ही आधार बनाते हुये प्रतिवादी संख्या 2 ने बेइमानी धोखधडी व अवैधानिक रूप से मृतक महताबकौर के अन्य सभी वारिसान के निहित खातेदारी अधिकारो से वंचित करने के आशय से फर्जी व बनावटी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अवैध विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 01 के हक में गोपनीय रूप से रजिस्टर्ड करा लिया जबकि राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 30.04.1992 एवं न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में तहसीलदार बयाना को मृतक रघुनन्दनलाल के विधिक वारिसान की जांच करने के उपरान्त दाखिल खारिज दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व जमाबन्दी का इन्द्राज किया जाना था। परन्तु इस दरम्यान प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा बेईमानी पूर्वक धोखधडी से गोपनीय रूप से राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 30.04.1992 को छुपाते हुये गलत विक्रयपत्र तहरीर व रजिस्टर्ड कराने का अधिकार नहीं था। उक्त विक्रयपत्र कानूनी वारिसान के हक तक अवैध शून्य व निष्प्रभावी है। प्रतिवादी संख्या 2 को विवादित आराजी में न्यारान्यूर खातेदारी आधिकार प्राप्त नहीं थे। केवल बगै0 मृतक रघुनन्दनलाल के कुटुम्बीजन है मृतक रघुनन्दनलाल अपनी जमीन को केवल बगै0 के हक में कोई वसीयत आदि नही की है। केवल मात्र अत्याधिक वृद्व

उप खण्ड अधिकारी
तहसील (भरतपुर) राज

होने की दशा मे विवादित आराजीयात को रघुनन्दनलाल की हैसियत से ही केवल बगै0 काश्त करते थे उनकी मृत्यु के बाद उक्त केवल बगै0 माता महताबकौर व हम रागी की राहगति से हमारी ओर से काश्त कर रहे है। परन्तु केवल बगै0 का विवादित आराजी पर विधिक कब्जा नहीं है और ना केवल बगै0 विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है उनका कब्जा मात्र लाईसेंसी हैसियत से है। वादीगण को खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत दावा लाने का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है बल्कि हम प्रतिवादी व अन्य वारिसान खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। अन्त में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तहरीर व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 27.01.2011 को हम प्रतिवादीगण व अन्य कानूनी वारिसान के हक तक अवैध शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कर निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

दावा जबाव दावा के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया प्रतिवादी संख्या 2 का विवादित आराजी पर कोई हक नहीं होते हुये दाखिल खारिज अपने हक में कराकर दिनांक 27.01.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 के हक में बेचान बिना कब्जा फिक्सीशियस वयनामा से करा दिया जो अवैध व शून्य है।
2. आया वादीगण का तीस वर्षो से निरन्तर काश्त चली आ रही है एवं लगान अदा करता चला आ रहा है।
3. आया वादीगण को खसरा नम्बर 713/0.01 हैक्ट. वाके ग्राम नयावास ब्रहम्वाद की बोरिंग लगी है जिससे 30–35 वर्षो से विद्युत बिल वादी भरता चला आ रहा है व विवादित आराजी की सिचांई करता है।
4. आया प्रति0 01 ने वादीगण को बेदखल करने की व अपने नाम नामान्तकरण तस्दीक कराने की धमकी दी उसका प्रभाव
5. आया वादीगण आराजी की खातेदारी की घोषणा अपने नाम करा पाने एवं प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का हकदार है।
6. आया जबावदावा के मद नं0 14 के अनुसार दावा वादीगण खारिज योग्य है।
7. वयनामा निरस्त कराने का कानूनी क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को होने के कारण दावा वादीगण खारिज योग्य है।
8. मृतक रघुनन्दन का प्रति नं. 2 भोलानाथ कायम मुकाम होने के कारण तथाकथित इकरारनामा दिनांक 08.02.1980 उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। भोलानाथ के हक में जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 11.09.1981 की कोई अपील निगरानी वादीगण के पूर्वजों ने नहीं की है। अतः दावा वादीगण तथ्यों को छुपाकर पेश किया होने के कारण खारिज योग्य है।

अतिरिक्त तनकीः–

1. आया संभागीय आयुक्त महोदय के निर्णय के आधार पर प्रति0 सं. 2 के नामान्तकरण दर्ज, तस्दीक हुआ उक्त निर्णय मण्डल द्वारा अपास्त हुआ जिसके आधार पर विक्रय पत्र अवैघ व शून्य निष्प्रभावी है।
2. आया जबाव दावा (सुरेश) के विशेष विवरण (अ) अनुसार मृतक रघुनन्दन की एक मात्र वारिस महताबकौर उर्फ लक्ष्मीदेवी थी जिनकी मृत्यु के बाद खण्ड अ में वर्णित आराजी विरासत से प्राप्त हुई है।
3. आया उत्तरवाद अनुसार प्रति0 01 के हक में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र प्रति0 03 व अन्य वारिसान की हक तक अवैध, शून्य, निष्प्रभावी है।
4. आया मुताविक विशेष विवरण अनुसार दावा वादीगण अवैध, निष्प्रभावी, शून्य है।
5. दादरसी

दस्तावेजी साक्ष्य वादी में वादी द्वारा प्रदर्श 01 जमाबन्दी 2051–70, प्रदर्श 2 नकल जमावन्दी 2051–70, प्रदर्श 3 नकल जमाबन्दी 2051–70, प्रदर्श 4 जमाबन्दी सम्वत 2038–41, प्रदर्श 5 जमावन्दी सम्वत 2042–45 ग्राम ब्रहम्वाद, प्रदर्श 6 जमाबन्दी सम्वत 2043–46 ग्राम भाग ब्रहम्वाद, प्रदर्श 7 नकल जमाबन्दी सम्वत 2038–41, प्रदर्श 8 नकल निर्णय तारीख 20.03.1985 न्यायालय उपजिलाधीश बयाना मुकदमा नम्बर 84/83, प्रदर्श 9 नकल निर्णय मुकदमा 83/83 निर्णय दिनांक 22.03.1985

खण्ड अधिकारी
(भरतपुर) राज.

उनवानी भोलासिंग बनाम केवलराम, प्रदर्श 10 नकल निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर तारीख 30.04.1992 वाद संख्या 78/88, 79/88, 80/88, प्रदर्श 11 नकल आदेश, प्रदर्श नकल आदेशिका दिनांक 25.11.97 माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर,प्रदर्श 14 नकल आदेशिका 07.03.1994 माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर, प्रदर्श 15 नकल घटनावही महा जनवरी 1980 व 29.01.80 से 29.11.82, प्रदर्श 16 नकल निर्णय 28.02.1997 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना उनवानी दीनदयाल आदि बनाम राजस्थान सरकार, प्रदर्श 18 लगायत 25 विद्युत बिल, प्रदर्श 26 नकल गोदनामा, प्रदर्श 27 घटनावही, प्रदर्श 28 नकल जमाबन्दी जनवरी वर्ष 1980, प्रदर्श 29 नकल जमाबन्दी ब्रहम्वाद सम्वत 2042–45, प्रदर्श 30–31 मिलान क्षेत्रफल ग्राम ब्रहम्वाद व भाग ब्रहम्वाद, प्रदर्श 32 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, प्रदर्श 33 प्रमाण पत्र सहायक अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम जयपुर, बयाना तारीख 04.01.18, प्रदर्श 34–36 प्रमाणित प्रतिलिपि विद्युत बिल जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, प्रदर्श 37 माननीय उच्च न्यायालय रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र 328/2011, प्रदर्श 38 आदेशिका, प्रदर्श 39 रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र 329/2011, प्रदर्श 40 आदेशिका 10.11.16, प्रदर्श 41 बटवारा नाम तारीखी 04.02.1980, मौखिक साक्ष्य में PW 1 चन्द्रशेखर शर्मा, PW 2 बिजेन्द्र एवं PW 3 सूरजभान के शपथ पत्र पेश हुये।

दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी संख्या 01 में नकल जमाबन्दी सम्वत 2064–67 प्रदर्श ए1, जमाबन्दी सम्वत 2063–66 प्रदर्श ए2, नकल संशोधित शीर्षक प्रदर्श ए3, उनवानी दीनदयाल बनाम भीमो प्रकरण संख्या 12/2011 न्यायालय ऐडीजे संख्या 01 बयाना, नकल निर्णय प्रकरण संख्या 12/2011 दिनांक 30.01.2018 प्रदर्श ए4, नकल निर्णय डिक्री प्रकरण संख्या 12/11 न्यायालय ऐडीजे संख्या 01 बयाना उनवानी दीनदयाल बनाम भीमो प्रदर्श ए5, नकल आदेश दिनांक 16.02.2022 राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर उनवानी दीनदयाल बनाम भीमो प्रदर्श ए6, निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर संख्या 4339/2012 आदेश दिनांक 10.02.2014 उनवानी भीमो बगैरा बनाम दीनदयाल प्रदर्श ए7, निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर संख्या 2331/2019 उनवानी सुरेशचन्द बनाम दीनदयाल प्रदर्श ए8, प्रमाणित नकल आर्डर शीट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना उनवानी सुरेशचन्द बनाम भोलानाथ बगैरा दिनांक 10.10.2017 वाद संख्या 170/2012 प्रदर्श ए9, प्रमाणित प्रति वाद पत्र सुरेशचन्द बनाम भोलानाथ न्यायालय उपजिला कलक्टर बयाना प्रकरण संख्या 170/2012 प्रदर्श ए10, प्रमाणित प्रति आदेश दिनांक 11.09.1981 दीवानी संख्या 38/1981 न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय भरतपुर भोलानाथ बनाम हरखासोआम प्रार्थना पत्र धारा 372 प्रदर्श ए11, प्रमाणित प्रति उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदर्श ए12 प्रस्तुत किये है। मौखिक साक्ष्य में DW 1 भीमो का शपथ पत्र पेश हुआ।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों की बहस को सुना विद्वान अभिभाषक एड0 वादी ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वर्णन किया है कि विवादित आरजी खसरा नम्बर 22, 71, 713, 714 किता 4 कुल रकवा 1.42 हैक्ट वाके ग्राम नयावास ब्रहम्वाद स्थित है। विवादित आरजी में वादीगण खातेदार काश्तकार व काबिज आरजी है। उक्त आराजी वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण को उनके पूर्वज रघुनन्दन से प्राप्त हुई है। चूंकि रघुनन्दन लाबिला औरत फौत हुआ था। विवादित आरजी का रघुनन्दन की मृत्यु होने पर वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण ग्राम पंचायत सिंघाडा में हुआ था। वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन का दावा डिक्री हुआ था। जिसमें विवादित आरजी वादीगण के न्यारान्यूर हिस्से में आयी थी। दौराने बहस प्रदर्श 41 का अवलोकन कराया विवादित आराजी ग्राम सिंघाडा व ब्रहम्वाद में स्थित थी। इस कारण दो नामान्तकरण खोले गये। ग्राम पंचायत सिंघाडा में खोले गये नामान्तकरण संख्या 1458 जो पुराने खसरा नम्बर 265 व 299 थे, जिनके नवीन खसरा नम्बर 71 व 72 बनाये गये है। ग्राम ब्रहम्वाद में नामान्तकरण संख्या 541 खोला गया जिसका पुराना

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

खसरा नम्बर 408 था, एवं उक्त पुराने खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 713 व 714 बनाये गये है। नामान्तकरण के समय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य इकरारनामा हुआ, जिसमें ग्राम सिंघाडा व ब्रहम्वाद वाली आराजीयात वादीगण के हिस्से में आयी थी। जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 व उसकी मां के हस्ताक्षर है। इस बाबत एड0 वादी ने प्रदर्श 41 का अवलोकन कराया। विवादित आराजी का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 2 ने बिना वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण की जानकारी के नामान्तकरण अपने नाम मृतक रघुनन्दन की जगीन अपने नाम करा ली, जिसका प्रतिवादी संख्या 02 को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। प्रतिवादी संख्या 02 ने नामान्तकरण अपने नाम दर्ज कर फिक्टीशियश विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 01 के हक में सब रजिस्टार बयाना के कार्यालय में तस्दीक करा दिया। जबकि विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 02 का कभी कब्जाकाश्त नहीं था। विवादित आराजी में वादीगण ने सिंचाई हेतु खसरा नम्बर 713 में ट्यूबवैल लगा रखा है, बिजली कनेक्शन ले रखा है, बिजली कनेक्शन बिजली बिलों की प्रति का पत्रावली में संलग्न प्रदर्श 19 लगायत 25 का अवलोकन कराया। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को कराया गया फिक्टीशियश विक्रय पत्र बेअसर व शून्य है। मृतक रघुनन्दन जो उषा मन्दिर भीतरवाडी बयाना के पुजारी थे की मृत्यु होने पर उनके नाम बैक में जमा राशि को मय ब्याज भुगतान बाबत न्यायालय जिला न्यायाधीश भरतपुर दिनांक 11.09.1981 से जो प्रदर्श ए11 है से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कराकर उक्त उत्तराधिकार प्रमाण की आड में विवादित आराजीयात का नामान्तकरण मां महताब कौर के जीवनकाल में ही अपने नाम खुलवा लिया। उक्त आधार पर तस्दीक किये गये नामान्करण विधि विरूद्व थे। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को किये गये विक्रय पत्र शून्य व बेअसर है। वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। एड0 वादी का यह भी कथन है कि केवलराम का कोई पुत्र नहीं था। इसलिये उसने दीनदयाल को दिनांक 24.06.82 को गोद लिया था, एवं दीनदयाल को दत्तक पुत्र माना। पत्रावली में संलग्न प्रदर्श 26 का अवलोकन कराया। एड0 वादी का यह भी कथन है कि नामान्तकरण संख्या 541 ग्राम पंचायत ब्रहम्वाद एंव नामान्तकरण संख्या 1458 ग्राम पंचायत सिंघाडा निर्णय विरूद्व अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा निर्णय दिनांक 23.03.1985 से दोनों नामान्तकरण अपास्त कर पुनः मृतक रघुनन्दन के वारिसान की जांच हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार नामान्तकरण निर्णित किये बाबत प्रकरण तहसीलदार बयाना को रिमान्ड किये गये। उक्त दोनों निर्णयों की अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर में पेश होने पर माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के निर्णय दिनांक 06.07.1988 अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई। माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के उक्त निर्णय विरूद्व अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश होने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 30.04.92 से माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 06.07.88 को अपास्त कर निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार वयाना को प्रकरण रिमान्ड कर पुनः समुचित सुनवाई कर निर्णय पारित किये जाने के आदेश किये गये। उक्त आदेश की पालना न्यायालय हाजा में वाद विचाराधीन होने पर आज भी जैरकार है। मण्डल के उक्त निर्णय विरूद्व पीटीशन माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर मे दायर होने पर माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.11.97 से पीटीशन डिसमिस की है। विवादित आराजीयात पर कभी भी प्रतिवादी संख्या 02 का कब्जा काश्त नहीं था। अन्त मे वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन करते हुये फिक्टीशियस शून्य व वेअसर किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी संख्या 01 के विद्वान अभिभाषक श्री बुद्विराम सिंगौर का तर्क है कि विवादित आराजीयात में वादीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। मृतक

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

रघुनन्दन के कायम मुकाम वादीगण नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 02 है। प्रतिवादी संख्या 02 विवादित आरजी का खातेदार दर्ज अभिलेख है। खातेदार को अपनी आराजी को रहन बय मुन्तकिल करने का पूरा कानूनी अधिकार है। माननीय श्रीमान जिला न्यायाधीश भरतपुर से प्राप्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही प्रतिवादी संख्या 02 ने विवादित आराजी अपने नाम कानूनी दायरे में रहकर कराई है। विक्रय पत्र दिनांक 27.01.11 से आराजी का प्रतिफल प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 को अदा किया गया है। रजिस्ट्री के दिन से ही विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जाकाश्त है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 के मध्य कभी भी किसी प्रकार का इकरारनामा नहीं हुआ है। कथित इकरारनामा झूठा व बनावटी है। इकरारनामा से किसी प्रकार की आराजी को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मृतक रघुनन्दन का एक मात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 02 है, वादीगण नहीं। माननीय जिला न्यायाधीश भरतपुर के निर्णय दिनांक 11.09.1981 से प्राप्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर रघुनन्दन की छोडी हुई आराजी प्रतिवादी संख्या 02 को प्राप्त हुई है। विवादित आराजी पर कोई भी बोरिंग नहीं लगी हुई है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पत्रावली में संलग्न बिजली बिलों के आधार पर वादीगण को विवादित आराजी को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। यहां यह भी तर्क किया है कि न्यायालय हाजा में एक वाद सुरेश बनाम भोलानाथ जो प्रदर्श 9 है जो स्वंय वादी द्वारा खारिज कराया है। प्रदर्श 01 ,02, 03, 04 प्रतिवादी संख्या 02 के हक में पूर्णत सिद्व है। वादीगण द्वारा यह वाद निराधार व गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 03 के विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा का तर्क है कि विवादित आराजी मेरी मां महताब कौर के भाई रघुनन्दन की छोडी हुई आराजी है। प्रतिवादी संख्या 02 भोलानाथ द्वारा विवादित आराजी को हम अन्य चार भाई बहनों से छिपाते हुये अपने नाम करा ली है। जिसका प्रतिवादी संख्या 02 को कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त आराजी पर मेरा 1/5 हिस्सा कानूनी निहित है। अकेले प्रतिवादी संख्या 02 भोलानाथ सम्पूर्ण आराजी का खातेदार नहीं हो सकता है। प्रतिवादी संख्या 02 भोलानाथ ने हमारी मां जीवित रहते ही सम्पूर्ण आराजी गलत तथ्यों के आधार पर अपने नाम करा ली। विक्रय पत्र दिनांक 27.01.11 को शून्य व बेअसर घोषित किया जाकर, मुझ प्रतिवादी संख्या 03 का 1/5 हिस्सा कानूनी निहित है, जिसे दिलाया जावे।

तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है:–

1. **तनकी नम्बर–1:– आया प्रतिवादी संख्या 2 का विवादित आराजी पर कोई हक नहीं होते हुये दाखिल खारिज अपने हक में कराकर दिनांक 27.01.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 के हक में बेचान बिना कब्जा फिक्सीशियस वयनामा से करा दिया जो अवैध व शून्य है।**––– इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण का है। प्रतिवादी संख्या 02 भोलानाथ मृतक रघुनन्दन लाल जो उषा मन्दिर भीतरवाडी बयाना के पुजारी थे की बहन महताबकौर उर्फ लक्ष्मी देवी का पुत्र है चूंकि रघुनन्दन लाविला औरत फौत हुये उन्होने अपने जीवनकाल में शादी नहीं की। रघुनन्दन को विवादित आराजी उसके पिता कैलावक्श से प्राप्त हुई थी। प्रदर्श 26 नकल गोदनामा अनुसार केवलराम द्वारा दीनदयाल को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था। प्रदर्श 41 जो इकरारनामा/बटवारा है अनुसार रघुनन्दन पुत्र कैलावक्श की छोडी हुई सम्पत्ति जो सिंघाडा, ब्रहम्वाद व बयाना स्थित है के केवलराम , द्वारिकाप्रसाद, शिवचरणलाल बराबर हिस्से में रहेगें उक्त इकरारनामा के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के मुकदमा नम्बर 209/89 मूल 201/95 मूलवाद उनवानी दीनदयाल बनाम राजस्थान सरकार में पुराना खसरा नम्बर 265 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा भाग ब्रहम्वाद दीनदयाल पुत्र केवलराम खसरा नम्बर 247 रकवा 4 बीघा 1 विस्वा, 248 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा, 252 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

खसरा नम्बर 253 रकवा 2 बीघा 12 विस्वा (भाग ब्रहम्वाद) रमेशचन्द, महेशचन्द, मदनलाल पिसराना द्वारिकाप्रसाद गुरसमात बरफी बेवा द्वारिकाप्रसाद, रामपति, भगवती पुत्रियान द्वारिकाप्रसाद (3) खसरा नम्बर 229 रकवा 1 बीघा 16 विस्वा, 299 रकवा 3 बीघा, 299 मिन रकवा 2 बीघा 12 विस्वा (भाग ब्रहम्वाद) 411 रकवा 2 बीघा 7 विस्वा, 408 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा, 405 रकवा 2 बीघा 9 विस्वा, 412 मिन रकवा 12 विस्वा(ब्रहम्वाद) शिवचरण पुत्र टीकम उर्फ टीकमसिंह (4) खसरा नम्बर 381 रकवा 4 बीघा 8 विस्वा, (ब्रहम्वाद) खसरा नम्बर 258 रकवा 3 बीघा 10 विस्वा (भाग ब्रहम्वाद) चन्द्रप्रकाश दत्तक पुत्र गुलकन्दी बेवा गयालाल में आपसी बटवारे के आधार पर डिक्री किया गया। नवीन खसरा नम्बर 71 पुराने खसरा नम्बर 265 नवीन खसरा नम्बर 22 पुराने खसरा नम्बर 299 मिन एंव नवीन खसरा नम्बर 713 पुराने खसरा नम्बर 408 मिन एवं नवीन खसरा नम्बर 614 पुराने खसरा नम्बर 408 मिन भाग ब्रहम्वाद, ब्रहम्वाद तहसील बयाना बनाये गये है। प्रदर्श 4 जमावन्दी सम्वत जमाबन्दी सम्वत 2038–41 अनुसार खसरा नम्बर पुराना 299 द्वारिकाप्रसाद, शिवचरणलाल पिसरान टीकमसिंह वहिस्सा बरावर निस्फ केवल बल्द कुंजी निस्फ कौम ब्राहम्ण साकिन ब्रहम्वाद इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 265, 299 रघुनन्दन बल्द कैलावक्श कौम ब्राहम्ण जमाबन्दी सम्वत 2034, (प्रदर्श 5) जमाबन्दी 2042–45 अनुसार पुराने खसरा नम्बर 408 केवलराम पुत्र कुंजी 1/4, द्वारिकाप्रसाद, शिवचरणलाल पिसरान टीकमराम बहिस्सा बराबर, मुस्समात अशर्फी वेवा प्रभुलाल 1/12 दर 1/4 बराबर 1/6 हिस्सा, मुस्समात बेवा गयालाल 1/2 हिस्सा कौम ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार, प्रदर्श 6 जमाबन्दी 2043–2046 अनुसार पुराना खसरा नम्बर 265, 299 केवलराम पुत्र कुंजी 1/4, द्वारिकाप्रसाद, शिवचरणलाल पिसरान टीकमसिंह वहिस्सा बराबर 1/4, मुस्समात अशर्फी वेवा प्रभुलाल हिस्सा 1/12, मुस्समात गुलकन्दी बेवा गयालाल 1/2 दर्ज है। प्रदर्श 7 में भी अंकित आराजी भी उक्तानुसार दर्ज खातेदारान के हिस्सा अनुसार दर्ज अभिलेंख है। विवादित आराजी वादीगण अथवा पूर्व की खातेदारी काश्तकारी आराजी थी। उक्त प्रदशों से सिद्व है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण संख्या 02 द्वारा मृतक रघुनन्दन ने बैक में जमा राशि प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि के तौर पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र माननीय न्यायालय जिला जज भरतपुर से प्राप्त किया है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र केवल बैक में जमा राशि मय ब्याज भुगतान प्राप्त करने के सम्बन्ध में जारी किया गया था। अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में नहीं। अचल सम्पत्ति बाबत उक्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। मृतक की समस्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्रशासक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा कोई प्रशासक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। उक्त बैक में जमा राशि आहरण बाबत ली गई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी मां के जीवित रहते हुए रघुनन्दन की छोडी हुई आराजी की विरासत को अपने नाम करा लिया। प्रतिवादी संख्या 02 के अलावा उसके 2 भाई व 2 बहिनें और थी। उनके नाम विरासत का नामान्तकरण दर्ज क्यों नहीं किया गया। रघुनन्दन की बहन महताबकौर के प्रतिवादी संख्या 02 के अलावा 4 अन्य पुत्र, पुत्रिया होना दौराने बहस उद्दत हुआ है। गवाह PW 1 चन्द्रशेखर ने अपने बयानों में कलमबद्व कराया है कि आराजी खसरा नम्बर 22, 71, 713, 714 ग्राम ब्रहम्वाद बाबत दावा 2011 में पेश किया वाद में ऐडीजे कोर्ट में दावा पेश किया था। विवादित आराजी भोलानाथ के नाम गलत इन्द्राज हुई है भोलानाथ के नाम नामान्तकरण की अपील रेवून्यू बोर्ड में भी की थी। उक्त प्रकरण तहसीलदार बयाना को भेजी थी अभी तक अन्तिम आदेश नहीं हुआ है। भोलानाथ रघुनन्दन का दत्तक पुत्र नहीं था वारिस नहीं था। यह कहना गलत है कि महताब कौर रघुनन्दन की सगी बहन नहीं थी। भोलानाथ महताबकौर का पुत्र हो सकता है हमने प्रतिवादी संख्या 02 को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश नहीं किया। वर्तमान जमाबन्दी में भोलानाथ खातेदार दर्ज है। जो गलत इन्द्राज है। इसलिए दावा लाये है। प्रदर्श 16 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

बयाना के न्यायोलय में पेश किया गया था पारिवारिक विभाजन के सम्बन्ध में था। उस विभाजन में ये खसरा नम्बर भी थे। उक्त विवादित आराजी के दो विक्रय पत्र भोलानाथ ने भीमो के नाम कराये थे मुझे मालूम नहीं। कैसे खरीदा है मुझे मालूम नहीं। विवादित आराजी पर भीमो काश्त नहीं कर रहा है हम काश्त कर रहे है। भोलानाथ ने भीमो को कब्जा दिया है गलत है। हम जबरदस्ती ताकत के बल पर किसी की जमीन हडपना नहीं चाहते है। PW 2 बिजेन्द्र ने अपनी जिरह में अंकित कराया है कि विवादित खसरा नम्बर मेरे खेत से पांच छह खेत दूर है। विवादित नम्बरों की रजिस्ट्री कराई हो तो मुझे मालूम नहीं। मैने शपथ पत्र में यह लिखा है कि भीमो ने भोलानाथ से रजिस्ट्री बेईमानी से करा ली थी। भोलानाथ मैने नहीं देखा। विवादित जमीन के कितने नम्बर बने है मुझे मालूम नहीं। विवादित जमीन ब्रहम्वाद में असखुद कहा नयावास के हार मे रहीं है। यह कहना गलत है कि भीमो ने विवादित जमीन मेरे काका भम्बल को भेज पर दे रखी है बल्कि पंडितों दी है। PW 3 सूरजभान ने अपनी जिरह में लेखबद्व कराया है कि विवादित जमीन 144 एयर है। मेरी जमीन विवादित जमीन से 1 खेत दूर है। मै खसरा नम्बरों की दिशा नहीं बता सकता। भीमो के पक्ष में कोई रजिस्ट्री हुई हो तो मुझे मालूम नहीं है। विवादित आराजी नयावास में है। मुझे पता नहीं कि वादीगण ने कितनी वार राजलगान अदा की है। DW 2 प्रतिवादी संख्या 01 भीमो ने अपनी जिरह में लेखबद्व कराया है कि मै रघुनन्दनलाल को जानता था। मास्टर शिवचरणलाल, केवलराम, दीनदयाल को जानता हू। नारायण, कैलावक्श दोनो अलग–अलग थे। कैलावक्श कब मरा मुझे मालूम नहीं। कैलावक्श के शायद एक ही सन्तान थी। रघुनन्दन था। रघुनन्दन उषा मन्दिर का पुजारी था। रघुनन्दन के नाम 09 साढे 09 बीघा जमीन थी। यह कहना गलत है कि रघुनन्दन की छोडी हुई जमीन केवलराम, द्वारिकाप्रसाद, शिवचरणलाल पिसरान टीकमसिंह व अशर्फी बेवा प्रभु, गुलकन्दी बेवा गयालाल के नाम चढी हो। भोलाराम मथुरा का निवासी था। मै सिर्फ भोलाराम को जानता हूं। सुरेश भोलाराम का भाई है यह सही है। सुरेश आज जीवित हो तो मुझे मालूम नहीं। सुरेश व भोलाराम का एक भाई नत्थी और था ऐसा बताते है। इनकी दो बहिनें विमला व मुन्नी हो तो मुझे मालूम नहीं। नत्थी के छोरा छोरी जीवित हो तो मुझे मालूम नहीं। भोलाराम को उसके पिता ने गोद लिया था। भोलाराम को हमारे सामने गोद नहीं लिया था। भोलाराम खेतों को जोतने आता था तब जान पहचान हुई। भोलाराम मथुरा से कब हिण्डौन रहने लगा मुझे मालूम नहीं। जमीन के पुराने खसरा नम्बरों को भी मै नहीं बता सकता। द्वारिका शिवचरण के मध्य बटवारे का दावा चला हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। मुझे पता नहीं है कि विभाजन से जरिये जमीन केवलराम, शिवचरणराम के न्यारान्यूर हिस्से की कब्जे की आराजी हो। रघुनन्दन को इस जमीन को जोतते बोते नहीं देखा क्योकिं उस समय बहुत छोटे थे। यह कहना गलत है कि रघुनन्दन के मरने के बाद विरासत खातेदारी का इन्द्राज से बहैसियत खातेदार विवादित आराजी को केवलराम, शिवचरणराम काश्त करते आ रहे हो। यह सही है कि विवादित आराजी के एक नम्बर में बोरिंग लगा है उसमें बिजली का कनैक्शन जारी है। बोरिंग कनैक्शन खसरा नम्बर 713 में है। मुझे पता नहीं है कि बोरिंग का बिजली कनैक्शन शिवचरण के नाम हो। मुझे पता नहीं है कि भोलाराम व रघुनन्दन के नाम कोई बिजली कनैक्शन हो। मुझे पता नहीं है कि विरासत का नामान्तकरण द्वारिका, केवलराम, शिवचरण के हक में हुआ है। उसकी कोई अपील हुई हो तो मुझे मालूम नहीं। भोलानाथ के नाम जमीन 1980–81 में चढी थी। मुझे मालूम नहीं। यह कहना गलत है कि भोलाराम ने गलत खातेदारी के आधार पर मुझसे रूपये हडपने की नीयत से विक्रय पत्र कराया हो। मै पढा लिखा नहीं हूं इसलिए मै यह नहीं बता सकता प्रदर्श 11 ए, 12 ए में भोलाराम रघुनन्दन लाल का दत्तक पुत्र हो। महतावकौर को मै नहीं जानता। मै भोलाराम में दस्तखत को पहचानता हूं। मेरे सामने उसने कई वार रजिस्ट्री आदि पर हस्ताक्षर किये थे। मैने केवल भोलाराम

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

को देखा है। प्रदर्श 41 पर महताब कौर उर्फ लक्ष्मीदेवी ने अगूंठा निशानी की हो तो मै नहीं बता सकता। भोलाराम रघुनन्दन का एकमात्र वारिस नहीं है। यह कहना गलत है कि भोलानाथ सुगनचन्द का लडका हो और वो उसका वारिस हो। यह कहना गलत है भोलनाथ ने रघुनन्दन की छोडी हुई जगीन पर कभी काश्त नहीं किया हो। यह कहना गलत है कि भोलानाथ ने विवादित आराजी पर हमको कोई कब्जा नहीं दिया हो। यह सही है कि हमारे नाम आज तक कोई दाखिल खारिज नहीं हुआ है। हमारे नाम रजिस्ट्री हुई है। यह कहना गलत है कि वादीगण की जमीन को हडपने के लिए रजिस्ट्री बेईमानी से कराई हो।

चूंकि प्रतिवादी संख्या 02 ने मृतक रघुनन्दन के बैंक में जमा राशि व ब्याज को प्राप्त करने के लिए जिला न्यायाधीश भरतपुर से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किया है उक्त प्रमाण पत्र मृतक रघुनन्दन शर्मा की बैकों में जमा राशि मय ब्याज प्राप्त करने बाबत जारी किया गया था। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जमीन अथवा समस्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में जारी नहीं किया गया था। जबकि रघुनन्दन की बहन महताबकौर जो प्रतिवादी संख्या 02 की मां थी प्रतिवादी संख्या 02 के अलावा दो भाई व दो बहिने और थी मां के जीवित रहते हुये दो अन्य भाई व दो अन्य बहिनों की बिना जानकारी के विवादित आराजी जो रघुनन्दन के नाम थी को अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करा लिया। जो सर्वथा विधि विरूद्व है। उक्त बाबत एड0 वादी ने न्यायिक दृष्टान्त माननीय गोवाहाटी हाईकोर्ट अपने केस नम्बर एमआरऐ 20/14 उनवानी श्रीमती YAYING CHUKLA व अन्य बनाम SRI JAMBA DORJEE CHUKLA निर्णय दिनांक 07.12.2020 से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बारे में स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है। कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करते समय भूमि का वितरण उसके उत्तराधिकारियों में नहीं किया जा सकता। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मृतक के ऋणों और सुरक्षा के लिए जारी किया जा सकता है। एक अन्य न्यायिक दृष्टान्त S.B Civil Miscellaneous Appeal No. 2128/2002 HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR आदेश दिनांक 10.02.2022 से स्पष्ट किया है कि 1925 के अधिनियम की धारा 372 के तहत किसी भी अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय अपर न्यायाधीश संख्या 01 बयाना का दावा दीवानी प्रकरण संख्या 12/2011 उनवानी दीनदयाल बनाम भीमो ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 18 में भी यह अंकित किया है भारतीय प्राधिकार अधिनियम की धारा 214 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मृत व्यक्ति के ऋणियों से ऋण की वसूली के लिए प्रतिनिध हक के सम्बन्ध में जारी किया जाता है। इससे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर्ता को मृतक की समस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता है। धारा 212 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत ऐसे व्यक्ति की जिसकी वसीयत किये बिना मृत्यु हो गई हो सम्पत्ति के किसी भाग के लिए कोई अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में स्थापित करने हेतु सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा प्रशासन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है। उक्त न्यायिक दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि अचल सम्पत्ति के परिपेक्ष्य में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 06.02.1988 के कारण आराजी भोलानाथ के नाम दर्ज हो गई थी। उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत होने पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 30.04.1992 से निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करते हुये माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर का निर्णय को अपास्त किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्व रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में दर्ज होने पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका दिनांक 25.01.1997 को खारिज की गई। प्रदर्श 16, 17, 18 अनुसार वादीगण का विवादित आराजी में विभाजन बावत दावा पेश किया था। जो न्यायालय हाजा से डिक्री किया

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

गया। विवादित आराजी मृतक रघुनन्दन की फैमली सेटलमेन्ट होने के बाद कभी भी नहीं रही एवं न ही मृतक रघुनन्दन का विवादित आराजी पर कभी कब्जा रहा। जब प्रतिवादी संख्या 02 विवादित आराजीयात में कब्जा व अधिकार ही नहीं था। तो उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 कब्जा दिया जाने अथवा सपलवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, मौखिक साक्ष्यों से यह सिद्व है कि प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा मृतक रघुनन्दन की छोडी हुई जमीन को माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्णय दिनांक 06.02.1988 के क्रम में अपने नाम करया गया था। उक्त निर्णय माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजरथान अजमेर के निर्णय दिनांक 30.04.1992 को अपास्त किया गया है। निर्णय अपास्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 02 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजरथान अजमेर के निर्णय उपरान्त विवादित आराजीयात का खातेदार नहीं रहा था। अतः प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को किये गये विक्रय पत्रों द्वारा विवादित भूमि बेचने का कोई अधिकार नहीं था। विवादित आराजीयात अपने नाम दर्ज होने पर प्रतिवादी संख्या 2 ने विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 को फिक्टीशियस विक्रय पत्रों के आधार पर विक्रय कर दी। जो कानूनन सर्वथा विधि विरूद्व है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी असल तय की जाती है।

2. **तनकी नम्बर 2– आया वादीगण का तीस वर्षो से निरन्तर काश्त चली आ रही है एवं लगान अदा करता चला आ रहा है।**–– इस तनकी को सिद्व करने का भार भी वादीगण का ही है। प्रदर्श 16,17, 18 जो विभाजन की डिक्री है बयान PW 1, PW 2, PW 3 के बयानों से स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 713 में बोरिंग वादीगण के द्वारा लगायी गई है। बोरिंग के द्वारा ही विवादित आराजी की सिंचाई होती है। स्वंय DW 1 भीमों ने भी अपने बयानों में यह कलमबद्व कराया है कि यह सही है कि विवादित आराजी में एक नम्बर में बिजली कनैक्शन खसरा नम्बर 713 में है मुझे मालूम नहीं है कि बिजली कनैक्शन शिवचरण के नाम हो। मुझे यह भी मालूम नहीं है कि भोलानाथ व रघुनन्दन के नाम बिजली कनैक्शन है भी या नहीं। यह कहना भी सही है कि बिजली कनैक्शन से ही खेतों की सिंचाई होती है। अपने बयानो में प्रतिवादी संख्या 01 DW 1 भीमों ने यह नहीं बताया कि वह बोरिंग उसके द्वारा लगायी गई हो बिजली के बिल वह अदा करता हो। मौखिक साक्ष्य में PW 2, PW 3 ने अपनी जिरह में अंकित कराया है पंडितों द्वारा जमीन भेज पर भम्बल को दे रखी है। भीमो प्रतिवादी 01 ने नहीं। प्रदर्श 19 लगायत 25 जो बिजली बिल है, उक्त प्रदर्शो व मौखिक साक्ष्यों से सिद्व है कि विवादित आराजी में वादीगण का कब्जा काश्त है। अतः यह तनकी भी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण असल तय की जाती है।

3. **तनकी नम्बर– 3––आया वादीगण को खसरा नम्बर 713/0.01 हैक्ट. वाके ग्राम नयावास ब्रहम्वाद की बोरिंग लगी है जिससे 30–35 वर्षो से विद्युत बिल वादी भरता चला आ रहा है व विवादित आराजी की सिचांई करता है।**–– उक्त तनकी को सिद्व करने का भार भी वादीगण का ही है चूंकि तनकी नम्बर 2 वादीगण के पक्ष में तय की जा चुकी है। अतः यह तनकी भी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण असल तय की जाती है।

4. **तनकी नम्बर–4:– आया प्रति0 01 ने वादीगण को बेदखल करने की व अपने नाम नामान्तकरण तस्दीक कराने की धमकी दी उसका प्रभाव–––** इस तनकी को सिद्व करने का भार भी वादीगण का ही है। चूंकि तनकी नम्बर 1, 2, 3 वादीगण के पक्ष में तय की जा चुकी है। अतः यह तनकी भी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण असल तय की जाती है।

5. **तनकी नम्बर –5:– आया वादीगण आराजी की खातेदारी की घोषणा अपने नाम करा पाने एवं प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का हकदार है।–––** इस तनकी को सिद्व करने का भार भी वादीगण का ही है। चूंकि तनकी नम्बर 1, 2, 3, 4 वादीगण के पक्ष में तय की जा चुकी है। उक्त विवादित आराजीयात वादीगण की खातेदारी में ही रही है। प्रदर्श 41 जो कि वादीगण, प्रतिवादी संख्या 02 के मध्य हुआ

उप खण्ड अधिकारी
तयाना (भरतपुर) राज.

समझौता है। जिसमें वादीगण – प्रतिवादी संख्या 02 तथा महताब कौर के भी हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी है। इसके अनुसार वादीगण व भोलानाथ द्वारा स्व0 रघुनन्दन की छोड़ी हुई आराजी/सम्पत्ति को आपस में विभाजित किया है। जिसमें ग्राम सिघांडा व अहमवाद की सम्पत्ति वादीगण को दिया जाना तय हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने सिविल अपील संख्या 7764/2014 उनवानी रविन्द्र कौर बनाम मंजीत कौर में भी कहा है कि पारिवारिक समझौते में पंजीकरण होना आवश्यक नहीं है। "Arrangement made in memorendam of family settlement binding on family members- No one in family can resile form staled aggrngements" इसी प्रकार माननीय उच्चत्तम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 5514/2005 गणेशी आदि बनाम अशोक वगैरा में भी कहा है कि Family settlement is not transfer of property a decree of civil court in pursuance of family settlement could not be interfered with in order to sustain a family settlement it is not necessary that there must be evidence of antencedent title of the parties. AIR 1976 Supreme Court 807, relied. इसी प्रकार माननीय उच्चत्तम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 784/2010 थुलासीधरा बनाम नारायनप्पा में यही बताया है। अतः यह तनकी भी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण असल तय की जाती है।

6. **तनकी नम्बर– 6:– आया जबावदावा के मद नं0 14 के अनुसार दावा वादीगण खारिज योग्य है।**––– इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 का है। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को दो अलग–अलग वयनामा 27.01.2011 से विवादित आराजी बाबत कराये है। प्रदर्श 8 व 9 अनुसार विवादित आराजी का फैमली सेटलमेन्ट होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा विभाजन का दावा डिक्री किया गया है। डिक्री समय से ही विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी पर खातेदारों का कब्जाकाश्त रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। जहां तक दोनों वयनामों को एक ही दावे में निरस्त कराने की कार्यवाही का प्रश्न है गलत है किसी भी समान आराजी व समान पक्षकारों के मध्य यदि विषयवस्तु समान हो तो दादरसी की आज्ञा हेतु एक ही दावा कानूनन पेश किया जा सकता है। खातेदारी भूमि पर खातेदार घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को निहित है, सिविल न्यायालयों को नही। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण असल बहक वादीगण तय की जाती है।

7. **तनकी नम्बर–7:– वयनामा निरस्त कराने का कानूनी क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को होने के कारण दावा वादीगण खारिज योग्य है।**––– चूंकि उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण असल का है। विवादित आराजीयात बाबत वयनामा निरस्त करने का कानूनी अधिकार राजस्व न्यायालय न होकर दीवानी न्यायालय को है परन्तु खातेदारी भूमि पर खातेदार घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को प्राप्त है, सिविल न्यायालय को नहीं। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद खातेदारी घोषणा बाबत पेश किया गया है। खातेदारी अधिकार दिये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों को होने के कारण दावा खारिज योग्य नहीं है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण असल तय की जाती है।

8. **तनकी नम्बर–8:– मृतक रघुनन्दन का प्रति नं. 2 भोलानाथ कायम मुकाम होने के कारण तथाकथित इकरारनामा दिनांक 08.02.1980 उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। भोलानाथ के हक में जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 11.09.1981 की कोई अपील निगरानी वादीगण के पूर्वजों ने नहीं की है। अतः दावा वादीगण तथ्यों को छुपाकर पेश किया होने के कारण खारिज योग्य है।**–––इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण असल का है। चूंकि तनकी नम्बर 01 लगायत 06 वादीगण के पक्ष में तय

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

हो चुकी है। अतः यह तनकी भी विरूद्व प्रतिवादीगण असल वहक वादीगण तय की जाती है।

अतिरिक्त तनकी:-

1. तनकी नम्बर– 1:– आया संभागीय आयुक्त महोदय के निर्णय के आधार पर प्रति0 सं. 2 के नामान्तकरण दर्ज, तस्दीक हुआ उक्त निर्णय मण्डल द्वारा अपास्त हुआ जिसके आधार पर विक्रय पत्र अवैध व शून्य निष्प्रभावी है।–– इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण का है। प्रदर्श 10 अनुसार माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 30.04.1992 द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के निर्णय 06.07.1988 अपास्त किया है। एवं प्रकरण प्रकरण तहसीलदार बयाना को रिमान्ड की है कि पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर, जांच करके, फिर पुनः कानूनी प्रावधानों के अनुसार मेरिट पर निर्णय करें। चूंकि माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के निर्णय दिनांक 06.07.1988 के अनुसरण में नामान्तकरण तस्दीक किया गया था। जब उक्त आदेश को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.04.1992 किया गया तो उक्त नामान्तकरण स्वतः ही निष्प्रभावी है। अतः यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण असल तय की जाती है।
2. **तनकी नम्बर– 2– आया जबाव दावा (सुरेश) के विशेष विवरण (अ) अनुसार मृतक रघुनन्दन की एक मात्र वारिस महताबकौर उर्फ लक्ष्मीदेवी थी जिनकी मृत्यु के बाद खण्ड अ में वर्णित आराजी विरासत से प्राप्त हुई है।**––– इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी संख्या 03 का है। चूंकि मृतक रघुनन्दन की बहिन महताबकौर उर्फ लक्ष्मीदेवी उभयपक्ष ने अपने वाद पत्र व जबाव दावें में होना बताया है। रघुनन्दन लाबिला औरत फौत हुआ है। रघुनन्दन की आराजी की एक मात्र वारिस महताबकौर थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त विवादित आराजीयात बाबत फैमली सेटलमैन्ट होने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना से वाद संख्या 209/89 उनवानी दीनदयाल आदि बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 28.02.1997 से विवादित आरजीयात बाबत बटवारें का दावा डिक्री किया गया है। जिसमें खातेदारान द्वारा सहमति के आधार पर दावा में वर्णित आराजी को अलग–अलग खाते कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने बाबत डिक्री कराया गया। डिक्री अनुसार विवादित आराजीयात पर खातेदार अपने अपने हिस्से में काबिज आराजी है। दिनांक 08.02.80 को हुये इकरारनामा अनुसार विवादित आराजीयात का सेटलमेन्ट किया गया है। जिसमें महताबकौर की अंगूठा निशानी है। उक्त इकरारनामा से महताबकौर को विरासत का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 03 बहक वादीगण तय की जाती है।
3. **तनकी नम्बर– 3:–आया उत्तरवाद अनुसार प्रति0 01 के हक में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र प्रति0 03 व अन्य वारिसान की हक तक अवैध, शून्य, निष्प्रभावी है।**––– इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 का है। उक्त तनकी के परिपेक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 03 ने मौखिक साक्ष्य के अलावा दस्तावेजी सबूत पत्रावली में पेश नहीं किये है। प्रतिवादी संख्या 03 के अलावा दो अन्य बहिने एवं एक भाई जैसा की DW 1 ने अपनी जिरह में बताया है ने विवादित आराजीयात बाबत किसी प्रकार की पैरवी साक्ष्य आदि पेश नहीं किये है। ऐसी स्थिति में अन्य वारिसान के हक मे तथाकथित विक्रय पत्र अवैध शून्य व निष्प्रभावी है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 03 बहक वादीगण तय की जाती है।
4. **तनकी नम्बर'–4:– आया मुताबिक विशेष विवरण अनुसार दावा वादीगण अवैध, निष्प्रभावी, शून्य है।**–– चूंकि तनकी नम्बर 01 लगायत 06 व अतिरिक्त तनकी

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज.

01 लगायत 03 वादीगण के पक्ष में तय हो चुकी है। अतः यह तनकी भी विरूद्व प्रतिवादीगण असल बहक वादीगण तय की जाती है।

चूंकि तनकी नम्बर 01 लगायत 06 व 08 एवं अतिरिक्त तनकी 01 लगायत 04 वादीगण के पक्ष में तय की जा चुकी है। वाद वादीगण डिक्री योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादीगण एव शोभनार्थ प्रतिवादीगण संख्या 04 लगायत 06 डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 22 रकवा 0.44, 71 रकवा 0.34, 713 रकवा 0.01, 714 रकवा 0.59, कुल किता 4 रकवा 1.42 हैक्टेयर वाके ग्राम नयावास (ब्रहम्वाद) तहसील बयाना वादीगण व शोभनार्थ प्रतिवादीगण संख्या 04 लगायत 06 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में विक्रय पत्र तारीखी 27.01.2011 को नल एण्ड बोइड किया जाता है। प्रतिवादीगण असल को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी में मदाखलत व मजाहमत नहीं करें। जबरन कब्जा कर बेदखल नहीं करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 05/8/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर) राज

न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना (भरतपुर)